O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
No. 4777
Date 27 NOV 2021
AGM (IT)
SE (O)/SE
EE
Section

सूचना का अधिकार के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री मनोज खरे, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण क्रमांक 08/2021 दिनांक 27.10.2021

श्री विकास जायसवाल — अपीलार्थी
अम्बिकापुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार — प्रतिअपीलार्थी
जनसूचना अधिकारी, होल्डिंग कंपनी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 26/11/2021 को पारित)

अपीलार्थी श्री विकास जायसवाल ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, के निर्णय दिनांक 20.09.2021 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत "छ.रा.वि.कं.लिमि. के (T&D) विंग में समस्त प्रवर्गो के दिनांक 19.03.2021 की स्थिति में बैकलॉग के पदों की जानकारी चाही गई है।"

(3) प्रकरण की सुनवाई दिनांक 24.11.2021 को निर्धारित किया गया। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) (अ) अपील सुनवाई के दौरान संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क सुने गए।

(ब) अपीलार्थी का तर्क कि उन्हे "छ.रा.वि.कं.लिमि. के (T&D) विंग में समस्त प्रवर्गो के दिनांक 19.03.2021 की स्थिति में बैकलॉग के पदों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। अपीलार्थी ने होल्डिंग कंपनी द्वारा दिनांक 22.09.2021 एवं 27.10.2021 को जारी विज्ञापनों को भी प्रस्तुत किया जिनमें बैकलॉग पदों के शामिल होने का उल्लेख है।

(स) जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन था कि चाही गई जानकारी के संबंध में पत्र कमांक 1872 दिनांक 20.09.2021 के माध्यम से आवेदक को यथास्थिति जानकारी से अवगत कराया गया है कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में रिट याचिका विचाराधीन है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के अनुरूप ही पदोन्नति संबंधी रोस्टर संधारित की जा सकेगी। अतः आपके द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय के कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध नहीं है। अतएव जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

(5) जन सूचना अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा इंगित भर्ती विज्ञापनों को जारी करने के लिए प्रयुक्त किसी अभिलेख में बैकलॉग पदों की संख्या का कोई उल्लेख पृथक से नही है। क्योकि भर्ती रिक्त आधारित (Vacancy Based) न होकर पद आधारित (Post Based) पर की जा रही है।

लेख है कि आवेदक द्वारा चाही गई बैकलॉग के पदों की जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतएव आवेदक को जानकारी उपलब्ध नही कराई गई है।

उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केवल ऐसी जानकारी/सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकारी के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना अपेक्षित नही है।

(6) प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्कों से प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा पैरा 04 एवं 05 में जो कार्यवाही किया गया है वह तर्क संगत है, जो स्वीकार योग्य है।

जैसा कि इन सभी विवरणों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बैकलॉग पदों की जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय के कार्यालयीन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। अतएव जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत केवल वही सूचना देना अपेक्षित है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना अपेक्षित नहीं है।

(7) जहॉ तक अपील का प्रश्न है, उल्लेखित कंडिका 04 (स)/–टीप के दृष्टिगत प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही है। अतः दर्ज अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 08/2021 दिनांक 27.10.2021) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574700

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –08/2021/22 रायपुर, दिनांक 26/11/2021

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3). श्री विकास जायसवाल, बौरिपारा, शिकारी रोड़, गली नबंर–02/तह./था./पो.आ. अम्बिकापुर, जिला –सरगुजा (छ.ग.) पिन –497001 को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574700